भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1004

उत्तर देने की तारीख : 05.02.2026

एमएसएमई ऋण में एनपीए

1004. श्री अरूण नेहरू :

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) उद्यम द्वारा पंजीकृत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की कुल संख्या कितनी है जिन्होंने वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 में अपना पंजीकरण रद्द कर दिया है अथवा अपना परिचालन बंद कर दिया है;

(ख) क्या सरकार अनेक ऋण योजनाओं के बावजूद एमएसएमई क्षेत्र के लिए बढ़ते ऋण अंतर (अनुमानित 28 लाख करोड़ रुपए) को मानती है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) चालू वित्तीय वर्ष में एमएसएमई ऋणों का कितना प्रतिशत गैर-निष्पादनकारी आस्तियों (एनपीए) में अंतरित किया गया है;

(घ) सूक्ष्म इकाइयों को दिवालिया होने से बचाने में आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) के विफल रहने के क्या कारण हैं; और

(ङ) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को ऋण देने वाले घातक ऐप्स से बचाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) : व्यापार में सुगमता के अनुरूप उद्यमों को उद्यम पंजीकरण के लिए सुविधा प्रदान करने के लिए, दिनांक 01.07.2020 को उद्यम पंजीकरण पोर्टल और अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों (आईएमई) को औपचारिक दायरे में लाने के लिए उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म दिनांक 11.01.2023 को शुरू किया गया था। दिनांक 31 जनवरी, 2026 तक उद्यम पंजीकरण पर पंजीकृत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की कुल संख्या **7,61,12,097** (सात करोड़ इकसठ लाख बारह हजार और सत्तानवे) है, जिनमें से वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 (दिनांक 31 जनवरी, 2026 तक) के दौरान, बंद होने के कारण क्रमशः **39,446** और **53,563** एमएसएमई अपंजीकृत किए गए हैं।

(ख) : वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस) ने सूचित किया है कि वित्त वर्ष 2025 के दौरान सिडबी द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार, औपचारिक ऋण का लाभ उठाने के संबंध में 75 प्रतिशत प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई हैं, 8% ने पूर्ण रूप से अनौपचारिक ऋण स्रोतों पर निर्भरता दर्शायी, जबकि 17% ने किसी भी प्रकार के ऋण का लाभ नहीं उठाया। यह सर्वेक्षण 19 क्षेत्रों में 2,097 एमएसएमई को कवर करते हुए संपूर्ण भारत के नमूना आधार पर किया गया था। (स्रोत: एसआईडीबीआई, भारतीय एमएसएमई क्षेत्र - प्रगति और चुनौतियां को समझना, मई 2025)।

(ग) : वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस) ने सूचित किया कि भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) का एमएसएमई क्षेत्र को कुल अग्रिम 35,83,337.55 करोड़ रुपए है, जबकि सकल एनपीए दिनांक 30.9.2025 (वर्तमान वित्तीय वर्ष) तक 1,17,186.88 करोड़ रुपए है, जो कि **3.27%** है।

(घ) : आकस्मिक क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) को मई, 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान के हिस्से के रूप में शुरू किया गया था ताकि पात्र सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) और व्यावसायिक उद्यमों को उनके कार्यान्वयन को आसान बनाने में सहायता मिल सके। राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) ने सूचित किया है कि ईसीएलजीएस के तहत, एमएसएमई को 2.43 लाख करोड़ रुपए की राशि की 1.13 करोड़ गारंटियां जारी की गई हैं। ईसीएलजीएस पर भारतीय स्टेट बैंक की दिनांक 23.1.2023 की एक अनुसंधान रिपोर्ट के अनुसार, ईसीएलजीएस के कारण लगभग 14.6 लाख एमएसएमई खाते जिनमें से लगभग 93.8% खाते सूक्ष्म और लघु उद्यम श्रेणियों से संबंधित थे, गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) वर्गीकरण में जाने से बचाए गए हैं।

(ङ) : भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि डिजिटल ऋण में व्यावसायिक आचार संबंधी मुद्दों का निवारण करने के लिए दिनांक 02 सितंबर, 2022 के अपने परिपत्र के माध्यम से दिशानिर्देश जारी किए गए हैं, जिसे बाद में 28 नवंबर, 2025 के भारतीय रिजर्व बैंक (क्रेडिट सुविधाएं) निदेश, 2025 के तहत समेकित किया गया है। यह कार्य ढांचा ग्राहक केंद्रित होने पर जोर देता है और इनके अनुपालन के लिए उधार सेवा प्रदाताओं (एलएसपी) और डिजिटल ऋण अनुप्रयोगों (डीएलए) द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा विनियमित संस्थाओं पर जिम्मेदारी डालता है, जिनके लिए वे काम करते हैं। इसके अलावा, दिनांक 1 जुलाई, 2025 से प्रभावी, भारतीय रिजर्व बैंक ने सीआईएमएस पोर्टल के माध्यम से विनियमित संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत किए गए डेटा के आधार पर अपनी वेबसाइट पर डिजिटल ऋण अनुप्रयोगों (डीएलए) की एक सार्वजनिक निर्देशिका भी चालू की है। यह निर्देशिका, जिसे नियमित रूप से अपडेट किया जाता है, ग्राहकों को विनियमित संस्थाओं के साथ डीएलए के जुड़ाव को सत्यापित करने में सक्षम बनाती है और यह भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर नागरिक कोना → विनियमित संस्थाओं द्वारा तैनात डीएलए के तहत उपलब्ध है।

*****